

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तिथि सहित

28.06.2022

उभय पक्ष-वकालतन प्रतिनिधित्व का आवेदन है।
दिनांक 26.07.2022 को रखें।

26.07.2022

प्रथम पक्ष-
द्वितीय पक्ष-वकालतन प्रतिनिधित्व का आवेदन है।
दिनांक 22.08.2022 को अभिलेख उपस्थापित करें।

13.08.2022

अभिलेख उपस्थापित।

इस वाद की वैधानिक अवधि समाप्त हो चुकी है।

अतः वाद की कार्यवाही समाप्त कर अभिलेख को बन्द किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

अनुमंडल दण्डाधिकारी
गिरिडीह।